समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. रमेश तनय दयाराम पटेल,
2. श्रीमति अंजली पति रमेश पटेल, दोनो निवासी
ग्राम मधपुरा, तहसील अमानगंज जिला पन्ना म.प्र. ..... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन .... अनावेदक

निगरानीं अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रां. संहिता

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर म.प्र. के प्रकरण कमांक 780 अ/21 वर्ष 2011–12 आदेश दिनांक 18.11.2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है।

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता के आवेदन पर विचारण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत प्रकरण प्रारंभ कर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया। जिसका विधिवत उत्तर आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर कि विवादित भूमि विधिवत रजिस्टर्ड बिकय पत्र के माध्यम से भूमि स्वामी को प्रतिफल देते हुए राजस्व रिकार्ड में उसके नाम होने के आधार पर क्रय की है जिसमें शासकीय पट्टेदार दर्ज न होने से कलेक्टर की अनुज्ञा आवश्यक नहीं थी। इस कारण प्रकरण समाप्त किया जावे। किन्तु अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा विवादित भूमि शासन में दर्ज किये जाने का दूषित आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में पुष्टि किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में हल्कीबाई एवं निजाजी लाल के नाम भूमि स्वामी दर्ज चली आ रही थी जो कि उनके पैतृक कब्जे एवं भूमि स्वामित्व की भूमि थी जिन्हें पैसे की आवश्यकता होने से उन्होंने अपनी सहमति से कुल रकवा 2.2 हे. भूमि विधिवत गाइडलाइन के अनुसार प्रतिफल प्राप्त कर उप पंजीयक के समक्ष विक्रय पत्र निष्पादित कराया है। इसी प्रकार अनावेदक द्वारा रकवा 2.00 हे. भूमि का बिक्रय विधिवत प्राप्त प्रतिफल उपरांत निष्पादित किया है तभी से आवेदकगणों का कब्जा चला आ रहा है। जिसका

डी. के. पारसी (एड.)
राजस्व मण्डल, मोतीमहल, म.प्र.
ग्वालियर मो.: 9753356589

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3975/II/15 .... जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-12-15	1. आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभय पक्षों के तर्क सुने । 2. मैने प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी न्यायालय अति. कमिश्नर सागर के निगरानी प्रकरण कमांक 780/अ–21/वर्ष 2011–11 में पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 3.. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता की ओर तर्क में कहा गया है कि संहिता की धारा 165 (7) ख के अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई पट्टेदार अपनी भूमि विकय नहीं कर सकता है । परन्तु संहिता की धारा 158 (3) में यह व्यवस्था दी गई है कि पट्टेदार 10 वर्ष बाद भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विकय बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के भी कर सकता है । 4.. आवेदक की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि विवादित भूमि हल्की बाई एवं मिजाजी के भूमि स्वामित्व की भूमि थी जो राजस्व अभिलेख में उनके नाम विधिवत दर्ज होने से सदभाविक रूप से पूर्ण प्रतिफल प्रदान कर कय की गई है किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत शिकायतकर्ता के आवेदन पर स्वमेव निगरानी की कार्यवाही करते हुए प्रकरण प्रारंभ किया है और विकेता को वर्ष 1975 में उसका बंटन किया जाना लेख करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज की गई है । जिसका अंतरण 10 वर्ष पश्चात किये जाने से और प्रस्तावित कार्यवाही एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र के अनुसार विकेता को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने से ऐसी कार्यवाही एवं पारित आदेश उपरोक्त इस प्रकरण में प्रभावशील नही है । 5. आवेदकगण की ओर यह भी तर्क दिया है कि लगभग 25–30 वर्ष बाद स्वमेव निगरीन की कार्यवाही की गई है	

[कृ. प. उ.

R-3975/III/15 पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों ए , अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य वि. म. प्र. राज्य में यह प्रतिपादित किया गया है स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्ति युक्त समय के भीतर ही किया जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है इसी प्रकार माननीय उच्च न्ययालय न्यायाधीश एस. के. गंगेले ने वर्ष रे.नि. 2013 पृ. 8 में भी 180 दिन के बाहर ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता ऐसा उल्लेख किया हे । अतएव उन्होने आवेदकगणों को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर पन्ना एवं अपर कमिश्नर सागर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है ।

6. अनावेदक शासन पक्ष की ओर से अधीनस्थ दोनो न्यायालयों के आदेश को संवर्ती निष्कर्ष के तहत मान्य करते हुए प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया ।

7. उभयपक्षों के विद्धान अधिवक्ताओं के तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं न्यायायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया अधीनस्थ न्यायालय ने शिकायत कर्ता के आवेदन के आधार पर स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है । अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा अपने आदेश में वर्ष 1975 में प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा दिये जाने बावत लेख किया है जो 10 वर्ष पश्चात किया गया है । ऐसी स्थिति में पट्टे दार को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद किया गया अन्तरण अवैध नहीं माना जा सकता । आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही पाता हूँ ।

8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 एवं अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2011 निरस्त किये जाते है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदकगणों का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य